



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17072024-255485
CG-DL-E-17072024-255485

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 374]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 16, 2024/आषाढ 25, 1946

No. 374]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 16, 2024/ASHADHA 25, 1946

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2024

सा.का.नि. 411(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (निगमन) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का नाम कंपनी (निगमन) संशोधन नियम, 2024 है।
 - (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- कंपनी (निगमन) नियम, 2014, के नियम 8क के, उप नियम (1) में,-
 - खंड (त) में, शब्द 'निधि' का लोप किया जाएगा।
 - खंड (फ) का लोप किया जाएगा।

[फा.सं. 1/13/2013-सीएल-V, भाग-IV]

मनोज पाण्डेय, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.250(अ), तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और संख्या सा.का.नि. 790 (अ), तारीख 20 अक्टूबर, 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th July, 2024

G.S.R. 411(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Incorporation) Rules, 2014, namely: -

1. (1) These rules may be called the Companies (Incorporation) Amendment Rules, 2024.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Companies (Incorporation) Rules, 2014, in rule 8A, in sub-rule (1),
 - (i.) in clause (p), the word “Nidhi”, shall be omitted;
 - (ii.) clause (v) shall be omitted.

[F. No. 1/13/2013-CL-V, Vol. IV]
MANOJ PANDEY, Addl. Secy.

Note:—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, PART II, Section 3, Sub-Section (i), vide notification number G.S.R. 250(E), dated the 31st March, 2014 and lastly amended vide number G.S.R. 790 (E), dated the 20th October, 2023.